| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 21/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्ष उपस्थित। आख्या/कार्यवाही हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी कार्यवाही पेश नहीं। कार्यवाही बन्द की जाती है। प्रार्थना पत्र अ०धारा-251 'A' पर उत्तरपक्ष वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 29.1.25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) |
| 29/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्ष उप० उत्तरपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उत्तरपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-251 'A' R.T.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/1/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) |

## न्यायालय उपजिला कलैक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय बांदीकुई

प्रकरण संख्याः 97 / 2022
प्रकरण दायर दिनांकः 18.05.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः 29.01.2025

उनवान

1. बनवारी लाल
2. हजारी लाल
3. मोहनलाल
4. दशरथ पुत्र राधेश्याम
5. प्रेमदेवी बेवा राधेश्याम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी शेखपुरा आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी शेखपुरा आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. नया 57 पुराना 55 के आराजी खसरा नंबर 327, 328, 329, 330, 356, 358, 359 वाके ग्राम शेखपुरा आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण गत 40–50 वर्षो से अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी की भूमि खाता संख्या 72 के आराजी खसरा नं. 346, 348 में होकर आते जाते रहे है। वर्तमान में यह रास्ता 12 फिट चौडा है उक्त रास्ता आराजी खसरा नंबर 346, 348 के पश्चिमी हिस्से की तरफ है जिसे संलग्न नक्शा में ए बी सी डी से दर्शित किया हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 346, 348 की खातेदारी भूमि अप्रार्थी हरिमोहन पुत्र किशोरीलाल के नाम दर्ज है अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को उक्त रास्ते में से होकर निकलने से दिनांक 28.04.2022 को मना कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी व आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी द्वारा

शेखपुरा आभानेरी तहसील

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में फसल आदि बुवाई करने से महरूम हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण को भूखे मरने की नौबत पैदा हो जावेगी तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के अलावा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने का अन्य कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है यदि रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में फसल आदि नहीं बाई गयी तो प्रार्थीगण को भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण की भूमि बंजड हो जावेगी प्रार्थीगण को नुकसाने अजीम नाकाबिले तायुन व तकमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदरन संभव नहीं हो सकेगी और गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियान फरीकेन चल पडेंगे जो बाय से बर्बादी प्रार्थीगण होगे ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण रास्ते के काम में आने वाली भूमि की एवज में न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसार निर्धारित रास्ते की भूमि बाबत जो भी शुल्क नियमानुसार तय करे वह शुल्क देने/जमा करवाने को प्रार्थीगण तैयार है। बिनाय दावा बिनाये मुखास्मत दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि उपरोक्त वर्णित में होकर आने जाने से निकलने से मना करने से तथा मौके पर रास्ते के निशानात को मिटाने के लिये टैक्टर से जोत निकलवाने के लिये तैयार होने के कारण अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 रा.टी.एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि उपरोक्त वर्णित में आने जाने के लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 346, 348 के पश्चिमी हिस्से की और से संलग्न नक्शे में प्रदर्शित हरूफ ए बी सी डी भूमि को रास्ते की भूमि घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये रजिस्ट्री ए. डी. नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से एड. श्री विनोद शर्मा उपस्थित आये तथा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 01 रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार स्वीकार है तथा प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अपनी शामलाती भूमि में होकर रास्ता उपलब्ध है फिर भी प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है प्रार्थीगण की एवं अप्रार्थी की शामलाती भूमि खसरा नं. 357, 349, 345 वाके ग्राम शेखपुरा, आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दोसा में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में सामलाती खसरा नं. 345, 357, 349 में होकर आसानी से आता जाता रहा है। लेकिन प्रार्थीगण, अप्रार्थी को नाजायज रूप से बेजा नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि में होकर रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण सामलाती खसरा नंबर 345, 349, 357 में होकर अपनी खातेदारी की भूमि में आते जाते रहे है एवं वर्तमान में भी अपनी समस्त भूमि में आ जा रहे है। लेकिन प्रार्थीगण बदनीयती पूर्वक मिन अप्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से मिन अप्रार्थी की भूमि को खराब करने के उद्देश्य से गलत तरीके से रास्ते की मांग कर रहे है। प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 03 खातेदारी भूमि मिन अप्रार्थी की होना स्वीकार है तथा शेष कथन गलत दर्ज किये गये है उक्त पैरा मे वर्णित मिन अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा नंबर 04 व 06 गलत है अस्वीकार है मिन अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता नहीं है उक्त पैरा में समस्त तथ्य मनगढन्त व बेबुनियाद दर्ज है प्रार्थना पत्र का पैरा

ळपुरा आभानेरी तहसील बसवा

नंबर 05, 07, 08 कानूनी है जबाब मोहताज नहीं है। प्रार्थी बनवारी पुत्र घासीलाल जाति ब्राहमण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड पर लिये जाने दस्तावेज पेश कर अवगत करवाया है कि प्रार्थना पत्र कतई गलत एवं बेबुनियाद आधारो पर पेश किया गया है प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 358, 359 में आवाजाही के लिए, फसल बोने व काटने के लिए आने–जाने के लिए एकमात्र रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा 345, 346 वाली भूमि में होकर जा रहे रास्ते को ही काम में लेता आ रहा है। और उक्त खसरा नंबरान की भूमि में भी आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 345, 346 में होकर ही आवाजाही हो रही है। नायब तहसीलदार आभानेरी, भू. अ.नि. आभानेरी व पटवारी हल्का आभानेरी के मौका पर्चा वाके ग्राम शेखपुरा दिनांक 09.11.2022 के अनुसार खसरा नंबर 356, 358, 359 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई सरकारी रास्ता नहीं है आवेदित खसरा नंबर 327, 328, 329, 330 वर्तमान में डामर सडक से लगते हुये है प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 346 में 55 X 4 व खसरा नंबर 348 में 22 X 4 कुल 308 वर्गमीटर क्षेत्र भूमि उपयोग में ली जायेगी।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 346, 348 के पश्चिमी हिस्से की ओर से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार बांदीकुई/नायब तहसीलदार आभानेरी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 327, 328, 329, 330 वर्तमान में डामर सडक से लगते हुये है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 346 में 55 X 4 व खसरा नंबर 348 में 22 X 4 कुल 308 वर्गमीटर क्षेत्र भूमि उपयोग में आयेगी। राज्य सरकार द्वारा RTACT की संशोधित धारा 251 "ए" खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तहसीलदार बॉदीकुई/नायब तहसीलदार आभानेरी की रिपोर्ट दिनांकः 09.11.2022 में प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नं. 346 में 55 X 4 व खसरा नंबर 348 में 22 X 4 कुल 308 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता चालू होना प्रस्तावित होने के मध्यनजर प्रार्थीगण की आराजी भूमि में आने–जाने हेतु तहसीलदार बॉदीकुई की रिपोर्ट में प्रस्तावित अप्रार्थीगण के खसरा नं. 346 में 55 X 4 व खसरा नंबर 348 में 22 X 4 कुल 308 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए" आरटीए बरूये तहसीलदार बॉदीकुई/नायब तहसीलदार आभानेरी की रिपोर्ट के संलग्न भू. अ. निरीक्षक आभानेरी एवं पटवारी हल्का आभानेरी मौका पर्चा वाके ग्राम शेखपुरा दिनांकः 09.11.2022 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील उपभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बांदीकुई /नायब तहसीलदार आभानेरी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश है कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र 251 "ए" राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 57 पुराना 55 के आराजी खसरा नंबर 327, 328, 329, 330, 356, 358, 359 वाके ग्राम शेखपुरा आभानेरी तह. बॉदीकुई जिला दौसा में आने जाने के लिये अप्रार्थी के खसरा नं. 346 में 55 X 4 व खसरा नंबर 348 में से 22 X 4 कुल 308 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते

में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बॉदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

29/1/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई